ing the years 1962 to 1967 representing Azamgarh constituency of U. P.

A lawyer and an agriculturist, Shri Yadav took active interest in the upliftment of Harijans and other backward classes. He was a staunch supporter for the removal of untouchability and always championed the cause of the down trodden. An amiable and soft spoken person, he took keen interest in the proceedings of the House.

He passed away at Azamgarh on 8th July, 1978 at the age of 83.

We deeply mourn the loss of these friends and I am sure the House will join me in conveying our condolences to the bereaved families.

The House may stand in silence for a short while to express its sorrow.

The hon. Members then stood in silence for a short while.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बांण सागर बांध

*1. **श्री विनायक प्रसाद यादव** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाण सागर बांध का प्रधान मंत्री द्वारा गत 14 मई को शिलान्यास किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह देश में सबसे बड़ा बांध होगा और इससे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों को लाभ होगा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि शिलान्यास के पश्चात् मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विरोध के परिणामस्वरूप इसका निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या वह इस सदन को इस बांध के भविष्य के बारे में जानकारी देंगे ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह बांध देश के बड़े बांधों में से एक होगा और इससे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के तीन राज्यों को लाभ प्राप्त होंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा नहीं होता।

श्री विनायक प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, प्रश्न के (ख) भाग के उत्तर में कहा गया है कि इससे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश इन तीन राज्यों को लाभ प्राप्त होंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने इस डेम को बनाने के लिये 1969 में ऐलान किया था, चूंकि इसके बनने से बिहार के सोन कैनाल सिस्टम को बहुत नुकसान होने वाला था, इसलिये बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सामने प्रोटेस्ट लाज किया था और उस प्रोटेस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों की एक कमेटी बना कर इस विवाद का निर्णय के लिये उस कमेटी को सौंप दिया। उस कमेटी की तीन बैठकें हुई थीं, जिन में सब से अन्तिम बैठक 16 सितम्बर, 1973 को हुई, जिस में सर्वश्री अब्दुल गफ्फर, तत्कालीन मुख्य मंत्री बिहार, पी० सी० सेठी, तत्कालीन मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश, तथा श्री अकबर अली, तत्कालीन मंत्री, उत्तर प्रदेश शामिल हुए थे.....

अध्यक्ष महोदय : आप क्वेश्चन पूछिए।

श्री विनायक प्रसाद यादव : इस के बारे में एक समझौता हुआ था, जिस के पैरा 9 को आप देखिए—

"As the hydrology of the river Sone and its tributaries is not well established and as Ganga waters are

abundantly available for utilisation by lift, the three States agreed that the Government of India may set up a special river commission for study of Sone river and draw up a comprehensive plan for the region taking into account any readjustments in the use of water considered necessary by the States."

MR. SPEAKER: You are making a statement.

श्री विनायक प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो समझौता, जोकि अन्तिम समझौता है, तीनों सरकारों के बीच में हुआ था जिसके जरिये केन्द्रीय सरकार को एक कमीशन बनाने के लिये कहा गया है, उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, उस समझौते का पालन किया जाएगा, कमीशन बनाया जा रहा है।

श्री राज नारायण : अभी तक क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री विनायक प्रसाद यादव : सरकार ने प्रश्न के उत्तर में जैसा कहा है कि इस योजना से बिहार बेनीफिटेड होगा, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सोन नदी पर 100 साल पहले का सोन केनाल सिस्टम था और उस के जरिये बिहार में कुछ पटबंध होना था लेकिन बिहार का जो सब से पिछड़ा जिला पलामू है, उसमें इसके जरिये पानी नहीं जाता था। अब सरकार ने यह कहा है कि इस डैम के बन जाने से पलामू को फ़ायदा होगा। पलामू बिहार में सब से ऊंची जगह पर है जहां सोन नदी का पानी नहीं जाता है। पलामू जिले का पटबंध तभी हो सकता है जब जो डैम सरकार बनाने जा रही है, उसमें से एक सीधी नहर निकाली जाए जिस का नाम बिहार कैनाल हो और वह सीधे पलामू तक जाए जैसे भाखड़ा नांगल से राजस्थान के पटबंध के लिये राजस्थान कैनाल स्पेशली बनाई गई है। सरकार यह कहती है कि इस डैम के बन जाने से बिहार का नुकसान नहीं होगा बल्कि जो पिछड़े हुए और सूखाग्रस्त इलाके हैं, उनको पानी मिलेगा। यह सवाल बिहार के सब से बड़े पीड़ित और सूखे इलाके से संबंधित है, इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि पलामू जिले को पटाने के लिये क्या केन्द्रीय सरकार राजस्थान कैनाल जैसी कोई कैनाल बाण सागर बांध से निकालेगी जिससे पलामू जिले को पटाया जा सके।

श्री भानु प्रताप सिंह : वहां काम हो रहा है। जो वर्तमान समझौता है, उस के अनुसार काम हो रहा है और भविष्य के लिए इस प्रकार की सूचना के लिए और सुझाव देने के लिए एक कमीशन नियुक्त हो रहा है और वह कमीशन जो सुझाव देगा, उस के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।

श्री विनायक प्रसाद यादव : कमीशन तो आपने अभी बनाया नहीं।

श्री राज नारायण : मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस सदन को यह बताए कि इस की शुरुआत कब हुई और अब तक इस काम की कितनी प्रगति है और कब तक यह काम पूरा होगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इसका पता है कि इस नहर से पलामू कितनी दूर है। गर्मी में वहां के लोगों को पानी पीने को नहीं मिलता है और वे प्यासे मर जाते हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, यह समझौता 16 सितम्बर, 1973 को तीन राज्यों की सरकारों के बीच में हुआ था।

श्री राज नारायण : शुरू कब हुआ था ?

श्री भानु प्रताप सिंह : शुरू तो अब हुआ है जब उस का उद्घाटन करने के लिए प्रधान मंत्री जी गये।

श्री राज नारायण : मैं ने पूछा है कि शुरू कब हुआ । समझौता 1973 में हुआ था और अब 1978 है । मैं जानना चाहता हूं कि पांच साल के बाद यह काम क्यों शुरू हुआ ।

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, इस का उत्तर उस समय की सरकार दे सकती है । मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कुछ कठिनाइयां रही होंगी, जिसके कारण कार्य शुरू नहीं हुआ । हम लोग इसमें जल्दी लाना चाहते हैं । पहले यह योजना दस वर्ष में पूरी होने वाली थी लेकिन अब इसको छः वर्ष के अन्दर पूरा करने का निर्णय किया गया है ।

श्री राज नारायण : मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि इस से पलामू की दूरी कितनी है ? पलामू के लोग गर्मियों में प्यास से मरते हैं, इसके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : यह प्रश्न पीने के पानी से सम्बन्धित नहीं है । यह तो सिंचाई योजना से सम्बन्धित है ।

श्री राज नारायण : श्रीमन, वहां के लोगों की प्यास नहीं बुझ रही है और मंत्री जी यह कह रहे हैं । वहां औरतें दूर दूर से घड़ों में पानी भर कर लाती हैं तब उनकी प्यास बुझती है । **(व्यवधान)**

MR. SPEAKER: Mr. Mallanna.

SHRI K. MALLANNA: May I know from the hon. Minister whether it is a fact that technical clearance is against this dam as the cost is higher than the yield of the acreage? In spite of it the Central Government gave the clearance. In spite of it, the Central Government is going to construct this dam. May I know the reaction of the Government? It is a political decision.

MR. SPEAKER: He says that technical clearance is against the dam and yet you have given the clearance.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: I am not aware of any such objection. In fact there is a slight difference of opinion regarding the alignment of the *bundh*. But that is such a minor matter that it will be resolved soon. The difference of opinion about the alignment will not, in any way, affect the completion of the dam.

श्री उग्रसेन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी फरमाया है कि 1973 में रिवर कमीशन बनाने का निर्णय लिया गया था । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस पांच वर्ष की अवधि में इस कमीशन के बनाने के लिए कोई कार्यवाही शुरू हुई या नहीं हुई ? यदि शुरू हुई तो कब शुरू हुई ?

श्री भानु प्रताप सिंह : कमीशन बनाने का प्रश्न तब उठता जब कुछ काम शुरू हो जाता । अभी तक तो झगड़ा ही चलता रहा है । जब झगड़ा बराबर चलता रहा तो कमीशन बनाने की बात भी सामने नहीं आई ।

MR. SPEAKER: Question No. 2—Mr. Saugata Roy.

SHRI Y. P. SHASTRI: Mr. Speaker, this question relates to my own constituency. I will request you to kindly permit me to ask a question.

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि यह बांध 6 वर्ष के अन्दर बन कर तैयार हो जाएगा । इस के लिए मैं उन को बधाई देना चाहता हूं । जब आप इस योजना को 6 वर्ष के अन्दर पूरा करने वाले हैं, और यह योजना 323 करोड़ रुपये की है जिसके पूरा होने पर बहुत ही सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को पानी मिलने वाला है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने इस 323 करोड़ रुपये की राशि में से वर्ष 78–79 में इस योजना के लिए कितना रुपया रखा है ताकि हम जान सकें कि सचमुच

में यह योजना 6 वर्ष में पूरी होने वाली है या नहीं ? इस योजना के चालू होने में पहले ही काफी देर हो चुकी है। इसका 1969 में सर्वे हुआ था, 1973 में समझौता हुआ लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। अब बड़ी खुशी की बात है कि इसका गत 14 मई को शिलान्यास हो गया है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इसका फेज्ड प्रोग्राम क्या है, इस पर हर वर्ष में कितना रुपया खर्च किया जाएगा और इस वर्ष कितना रुपया खर्च किया जाएगा ?

श्री भानु प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा काम लेने से पहले सड़कें बनानी पड़ती हैं, वहां लोगों के रहने के लिए जगह करनी पड़ती है, मशीनरी इकट्ठी करनी पड़ती है। जहां तक इस वर्ष के अलाटमेंट का सवाल है, पहले 2.78 करोड़ रुपया रखा गया था लेकिन अब यह राशि बढ़ा कर 78–79 में 6 करोड़ कर दी गयी है। (**व्यवधान**)

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : अध्यक्ष महोदय मैं.....

MR. SPEAKER: No, no. You cannot. Question No. 2. No; you are not allowed. Please don't record.

(*Interruptions*)*

Subsidy for Purchase of Wheat and Rice in 1977-78

*2. SHRI SAUGATA ROY: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the total amount of subsidy that has been paid for purchase of wheat by Government in 1977-78;

(b) the total amount of subsidy that has been paid for purchase of rice in 1977-78; and

(c) the reasons for subsidy for wheat being so much more?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) and (b). The Government are reimbursing Food Corporation of India (i) the difference between the economic cost for the Corporation and the issue price of foodgrains as fixed by the Government, and (ii) the cost of carrying buffer stocks. No subsidy is paid for purchase of foodgrains as such. According to Revised Estimates for 1977-78, the amount payable by the Government to the Food Corporation of India for the issues of wheat towards reimbursement of the difference between economic cost and the issue price works out to Rs. 163.65 crores. No amount is reimburseable to the Food Corporation of India for issues of indigenous rice but in respect of issues of rice stocks left out of the imports in the earlier years, the amount reimburseable for 1977-78 works out to Rs. 91 lakhs. A sum of about Rs. 309 crores was estimated to be payable to the Corporation on account of carrying cost of buffer stocks in R.E. 1977-78. Out of this a sum of about Rs. 232 crores would relate to wheat and Rs. 77 crores approximately to rice, since the ratio of wheat and rice buffer is about 3 : 1.

(c) The reasons for subsidy on wheat being higher are as follows:

(i) The total quantity of wheat sold through public distribution system as well as held in buffer is much more than the quantity of rice. Accordingly, the total subsidy on wheat is bound to be higher than on rice.

(ii) The subsidy per quintal both in case of wheat and rice arises out of the difference between the economic cost of the grain to the Corporation and its issue price. The

*Not recorded.